न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:—श्री सी0एल0शर्मा, आर0ए0एस0
मुकदमा नम्बर:—260/2016 राजस्व वाद व 622/2016 प्रार्थना पत्र
श्री जगदीश कंवर पुत्री गुलाबसिंह पत्नि बहादुरसिंह गेड़तिया, उम्र बालिग निवासी रामाजी का गुढ़ा तहसील रायी जिला पाली (राजस्थान) ———वादिया—प्रार्थिया

बनाम

श्री भगवानसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सुरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा वगैराह ———प्रतिवादीगण—विपक्षीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0

उपस्थित:—

1—श्री श्याम लाल वैद्य — एडवोकेट—प्रतिवादीगण
2—श्री शरद पालीवाल — एडवोकेट—वादिया

:: नि र्ण य :: दिनांक:—10.4.2018.

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया ने प्रतिवादीगण के विरूद्व ग्राम सुरास तहसील मांडल की नवीन आराजी नम्बर 1115 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1125 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा जो प्रतिवादी भगवानसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत के नाम पर खातेदारी हक से इन्द्राज होना अपने वाद पत्र में अभिकथन करते हुये इस तथ्य को स्वीकार किया हैं। हाल आराजी नम्बर 1115 एवं 1125 के साबिक आराजी नम्बर 548, 560, 561, 562 होना वादिया ने अपने वाद पत्र में अभिकथन करते हुये इस तथ्य को स्वीकार किया हैं। लेकिन साबिक रेकार्ड में साबिक आराजी नम्बर सुखदेव पिता सोहन दरोगा एवं बदरीलाल पिता किशोरलाल ब्राहम्ण के नाम पर दर्ज रही थी। उक्त आराजी प्रतिवादी भगवानसिह पिता गुलाबसिंह द्वारा क्रय करने से नवीन राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हुई हैं। जो गुलाबसिंह पिता रतनसिंह राजपूत की नहीं थी। इस बाबत वादिया का यह उल्लेख करना नितांत असत्य हैं कि वादग्रस्त आराजियात पर वादिया एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से कब्जा हो, बल्कि नवीन राजस्व अभिलेख सम्वत् 2033 से मुतवातिर उक्त नवीन आराजी नम्बर 1115 एवं 1125 प्रतिवादी भगवान सिंह के नाम पर तन्हा खातेदारी हक से इन्द्राज होने से वादिया दावा प्रतिवादीगण के विरूद्व लाने का अधिकारी नहीं हैं। आराजियात में वादिया का 1/6 हिस्सा कतई नहीं है और न इस वाद के जरिये घोषित हो ही सकता हैं। क्योंकि वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी भगवानसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत की स्वअर्जित हैं। आवेदिका एवं अन्य किसी भी प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा ही नहीं हैं और न कब्जा ही हैं। बल्कि

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजी नम्बर 1115 व 1125 पर तन्हा प्रतिवादी भगवानसिंह काबिज हैं। राजस्व रेकार्ड खसरा परिशोधन पत्र की प्रमाणित प्रति से वादग्रस्त आराजियात पर तन्हा प्रतिवादी भगवानसिंह काकब्जा होना भी प्रमाणित भगवानसिंह का कब्जा होना भी प्रमाणित हैं। इस बाबत स्वर्गीय गुलाबसिंह जी के भी खसरा परिशोधन पत्र पर हस्ताक्षर भी है और जिन्होनें भूमि के साबिक खातेदारों यथा बदरीलाल ब्राहम्ण व सुखदेव दरोगा के भी हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में वादिया का वाद विचारण के पश्चात भी वही परिणाम होगा जो राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से बखुबी प्रकट होने से प्रतिवादीगण को अनावश्यक रूप से मुकदमें में लंबित रहते उनके अर्थ व श्रम का बचाने के लिये न्यायालय का दायित्व हैं। ताकि न्यायालय की प्रकिया का दुरूपयोग न हो और व्यथित पक्षकार को वाद का विचारण भुगते बिना तुच्छ मुकदमें बाजी को कुचलाने के अधिकार से वंचित न हो। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को असहाय नहीं होना चाहिये और सिविल प्रकिया संहिता की धारा 151 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुये ऐसे वाद का इसी स्टेज पर खारीज कर देना चाहिये चाहे आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानान्ताति खारीज नहीं किया जा सकता हैं। ऐसा सिद्वान्त धन्ना लाल व अन्य बनाम प्रहलाद कुमार व अन्य के मामले में माननीय राजस्व मंडल की खण्ड पीठ द्वारा अपना अभिमत प्रकट किया हैं। जो 2013(1) आर.एल.डब्लू. (आर.जे.) के पेज 81 पर प्रकाशित हैं। अतः सादर प्रार्थना पत्र है कि प्रतिवादिया का आवेदन स्वीकार कर वादिया के वाद पत्र को इसी स्टेज पर नामंजूर किया जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

जबकि वकील वादिया ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र. की चरण संख्या 1 जिस प्रकार लिखी गयी है स्वीकार नहीं हैं। इस चरण में वर्णित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर गलत एवं अवैध रूप से अभिलिखित चली आ रही हैं। इस संदर्भ में ही वादिया ने वाद पत्र में घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पेश किया है। विवादित आराजियात के जो साबिक नम्बर वादिया ने अंकित किये है वह वादिया की पुश्तैनी आराजियात है साबिक रेकार्ड में यदि सुखदेव दरोगा व ब्रदीलाल ब्राहम्ण का नाम दर्ज बताया गया वह फर्जी एवं कूटरचित तरीके से राजस्व रेकार्ड में कांट छांट कर दर्ज किया गया है जो राजस्व रेकार्ड से देखने से स्वतः प्रमाणित हैं। वैसे भी वक्त सेटलमेंट प्रतिवादी संख्या 1 भगवानसिंह मात्र 5 वर्ष का होकर अवयस्क था। जिसके नाम पर उक्त भूमि खातेदारी अधिकार से अभिलिखित किये जाने का प्रश्न हीं पैदा नहीं होता हैं। अर्थात विवादित आराजियात किसी कदर प्रतिवादी संख्या 1 की स्व अर्जित आराजियात नहीं हैं। बल्कि गुलाबसिंह की संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी आराजियात हैं। जिसमें वादिया का जन्म से ही कानूनन हक अधिकार निहित है वैसे भी विवादित आराजियात पुश्तैनी/स्वअर्जित है या नहीं तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न हैं। जो साक्ष्य के उपरांत भी तथ्य हो सकता हैं। ऐसी हालत में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र किसी कदर ओदश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में नहीं आने से खारीज किये जाने योग्य हैं। विवादित आराजियात गुलाबसिंह के संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी आराजियात होने से गुलाबसिंह के सभी वारिसान विवादित आराजियात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वैसे भी कब्जे का प्रश्न साक्ष्य के उपरांत ही निस्तारित किया जा

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

सकता हैं। धारा 151 जा.दी. के प्रावधान किसी कदर प्रकरण हाजा पर चस्पानहीं होते हैं। वादिया का वाद खातेदारी हकों की एवं स्थायी निषेधाज्ञा का होने से न्यायालय आप में कानूनन पोषणीय हैं। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र किसी कदर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में नहीं आने से खारीज किये जाने योग्य हैं। वैसे भी विधि के विशिष्ट प्रावधान किये हो तो धारा 151 जा0दी0 किसी कदर प्रभावित नहीं होती हैं। प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण ने न्यायिक विनिश्चय का उल्लेख किया है जो कानूनन नहीं किया जा सकता हैं व न ही प्रकरण हाजा पर चस्पा होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज होने योग्य हैं। अतः वादिया का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 सारहीन होने से सव्यय खारीज फरमाया जावें।

वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र, न्यायालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 29.3.2006 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2033 से 2036 की छाया प्रति, खसरा परिशोधन पत्र की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रतिवादी द्वारा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

जबकि वकील वादिया ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

जबकि वकील वादिया ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। वादिया ने वाद पत्र ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील मांडल में स्थित होकर गुलाबसिंह पिता रतनसिंह राजपूत साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2024 से 2027 की प्रंमाणित प्रति से होती हैं। जिसमें साबिक आराजी नम्बर 548, 560, 561, 562 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा भूमि भगवानसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि साबिक आराजी नम्बर 548, 560, 561, 562 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा भूमि बद्रीलाल पिता किशोरलाल ब्राहम्ण साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसके हाल नम्बर 1125 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा भूमि भगवानसिंह पिता गुलाबसिह का मौके पर कब्जा भी हैं। जिस पर

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

गुलाबसिंह के हस्ताक्षर हैं। तथा बद्रीलाल व सुखदेव ने भी राजस्व रेकार्ड में से अपना नाम से खारीज करते हुये भगवानसिंह पिता गुलाबसिह राजपूत के नाम दर्ज करने की सहमति दी। जिसकी ताईद प्रस्तुत खसरा परिशोधनपत्र की प्रमाणित छाया प्रति से होती हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी प्रतिवादी संख्या 1 का ही नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबंदी की नकल सम्वत् 2033 से 2036 की प्रति से होती हैं। जिसमें हाल आराजी नम्बर 1125 व 1115 कुल किता 2 रकबा 41 बीघा 16 बिस्वा दर्ज रेकार्ड हैं। माननीय उप महानरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 29.3.2006 को उप पंजीयन, मांडल द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस अस्वीकार किया गया। जबकि वकील वादिया ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। केवल मात्र जागीरदार खुद काश्त का प्रपत्र प्रस्तुत किये। जिसमें काश्तकार की हैसियत से किसी का नाम दर्ज रेकार्ड नहीं हैं। जैसाकि वादिया ने पुश्तैनी होना अंकित किया हैं। किन्तु पुश्तैनी होने बाबत कोई दस्तावेज रेकार्ड पर नहीं हैं। केवल मात्र जमाबंदी की नकल सम्वत् 2024 से 2027 में गुलाबसिंह पिता रतनसिंह के नाम दर्ज हैं। किन्तु वादिया ने अपने वाद पत्र में परिवार का सजरा प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रार्थना पत्र की ताईद वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से होती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिबादी अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण वादिया का वाद पत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद पत्र खारीज किया जाता हैं।

(सी0एल0शर्मा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

यह निर्णय आज दिनांक 10.4.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा